Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, NOV-DEC, 2018, VOL- 6/48

ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन में समन्वित ग्राम्य विकास योजना की भूमिका

सुबोध कुमार अग्रवाल, Ph. D.

बी0 एस0 ए0 कालेज, मथुरा

Abstract

निर्धनता उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास हेतु अतिरिक्त रोजगार सृजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1978 में चयनित विकास खण्डों में किया गया। जिसे सम्पूर्ण भारत में निर्धनता उन्मूलन के लक्ष्य से रोजगार सृजन कर ग्रामीण–निर्बल वर्गीय परिवारों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन करने के उद्देश्य से संचालित एवं कियान्वित किया गया। निर्बल वर्गों के उत्थान के लिए योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त से ही विभिन्न योजनाओं द्वारा सतत् प्रयास किए जाते रहे हैं, किन्तु विभिन्न क्षेत्रों हेतु पृथक–पृथक योजनाएं होने के कारण, यह परियोजना इस दिशा में अनिर्धारित सी रही। परन्तु सन् 1978–79 से ग्रामीण अंचलों में व्याप्त गरीबी को दूर करने के लिए ''समन्वित ग्राम्य विकास योजना'' प्रभावी योजना के रूप में कियान्वित की गयी। आज गॉवों में जन सामान्य के औसत आर्थिक स्तर में कुछ सुधार अवश्य हुआ है लेकिन औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के फलस्वरूप अनेक ऐसी समस्याओं में भी वृद्धि हुई हैं जिन्होंने एक बड़े ग्रामीण वर्ग के जीवन में निर्धनता की समस्याओं को पहले से भी अधिक गम्भीर बना दिया है।

पारिभाषिक शब्दावली: समन्वित ग्राम्य विकास, निर्धनता, उन्मूलन , औद्योगीकरण।

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

शोध प्ररचना : शोध प्ररचना के रूप में 'वर्णनात्मक शोध' को अपनाया गया है ताकि संकलित सूचनाओं की प्रस्तुति वैषयिक रूप में सम्भव हो सके। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण; आवागमन के साधनो की सहज उपलब्धता, सुपरिचित भाषाभाषी क्षेत्र, शोध उद्देश्यों की सहज पूर्ति, उचित अध्ययन इकाईयों के चयन की सहज उपलब्धता आदि को देखकर उ.प्र. के मथुरा जिला की पिछड़ी तहसील मॉट के मॉट पंचायत क्षेत्र के पॉच गॉवों (नसीटी, कुड़बारा, जैसवॉ, जाबरा, मिरताना) को अध्ययन के समग्र के रूप में चुना गया है। शोध अध्ययन को सम्पादित करने के लिए पूर्णतः द्वितीयक तथ्यों पर आधारित वर्णनात्मक शोध प्ररचना को चुना है, जिसमें ऐतिहासिक अध्ययन पध्दति को भी समावेशित किया गया है, ताकि अध्ययन की प्रस्तुति सरल किन्तु तार्किक रूप में की जा सके। भारतीय गॉवों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं में निर्धनता की समस्या का रूप सबसे अधिक जटिल है। एक शोध के अनुसार यदि ग्रामीण, नगरों में आना बन्द कर दे तो कहा जा सकता है कि नगरों

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

से गरीबी दूर की जा चुकी है। इस तथ्य से ग्रामीण निर्धनता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

भारत में ग्रामीण, निर्धनता की समस्या केवल स्वास्थ्य और कुशलता के स्तर से ही सम्बद्ध नहीं है बल्कि इसे साधारणतया जीवित रहने के लिए न्यूनतम पोषक तत्वों की पूर्ति से सम्बन्धित समझा जाता है। इसके पश्चात् भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निर्धनता स्वयं में एक सापेक्षिक अवधारणा है इसका सम्बन्ध मुख्य रूप से तीन तत्वों यथा – न्यूनतम जीवन स्तर, व्यक्ति पर आश्रित सदस्यों की संख्या तथा बाजार भाव से है। इसका तात्पर्य है कि जब किसी समुदाय के अधिकांश व्यक्तियों को इतने भी आर्थिक साधन प्राप्त नहीं हो पाते कि वे एक विशेष क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार अपने ऊपर आश्रित सदस्यों के न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रख सकें, तब इस स्थिति को हम निर्धनता की स्थिति कहते हैं। वास्तविकता यह है कि हम भले ही अतीत के भारतीय ग्रामीण जीवन को समृद्धिशाली कह दें लेकिन सम्पूर्ण इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा है जबकि गॉवों के किसान, कारीगर और मजदूर विभिन्न प्रकार के अभावों और शोषण के शिकार न रहे हों। इतना अवश्य है कि ग्रामीण निर्धनता की वर्तमान समस्या का स्वरूप परम्परागत समाज में कुछ भिन्न है। आज गॉवों में जन सामान्य के औसत आर्थिक स्तर में कुछ सुधार अवश्य हुआ है लेकिन औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के फलस्वरूप अनेक ऐसी समस्याओं म भी वृद्धि हुई हैं जिन्होंने एक बड़े ग्रामीण वर्ग के जीवन में निर्धनता की समस्याओं को पहले से भी अधिक गम्भीर बना दिया है। ग्रामीण निर्बल वर्गीय परिवारों के सामाजिक – आर्थिक अध्ययनों के उपरान्त लघु किसान, सीमान्त किसान, असीमान्त किसान, भूमिहीन व कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण दस्तकारों (कारीगरों) को निर्बल वर्गीय परिवारों की संज्ञा दी गई है।

सन् 1978 में समन्वित ग्राम्य विकास योजना को पुरोनिर्धारित कार्यक्रम निर्धनता उन्मूलन एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं समन्वित कार्यक्रम रूप में राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित किया गया। इसके क्रियान्वयन से पूर्व सरकार द्वारा राष्ट्र स्तर पर विभिन्न **''निदर्शन सर्वेक्षण''** भी सम्पादित कराए गए। जिनके अनुसार कमजोर वर्गों के अन्तर्गत लघु किसान, सीमान्त किसान, उपसीमान्त किसान तथा भूमिहीन श्रमिक एवं ग्रामीण दस्तकारों को निर्बल वर्ग की संज्ञा दी गई। यह निर्विवाद स्पष्ट है कि भारत

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

की अधिकांश जनसंख्या निर्बल वर्ग के अन्तर्गत आती है; जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी सम्मिलित है। इसके साथ–साथ अनुसूचित जनजातियॉ व पिछड़ी जातियॉ भी सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त कमजोर हैं जो निर्बल वर्ग के अन्तर्गत ही आती हैं। इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में आर्थिक असमानता के सामाजिक आधार पर सवर्ण जातियॉ ''सक्षम'' तथा अनुसूचित व पिछड़ी जातियॉ (अस्पृश्य) ''निर्बल'' (कमजोर) वर्गीय मानी जाती थीं, किन्तु कालान्तर में सामाजिक–आर्थिक आधार पर ही निर्बल वर्ग का निर्धारण किया गया है।

योजना आयोग (अब नीति आयोग)के अनुसार आर्थिक आधार पर ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले उन परिवारों को जिनका सामाजिक–आर्थिक स्तर ''गरीबी की रेखा के निर्धारण का ''मानक'' के अन्तर्गत आता है, निर्बल वर्ग के अन्तर्गत आता रहा है क्योंकि निर्बल वर्ग का मानक समय–समय पर परिवर्तित होता रहा है। स्पष्टतः ऐसे परिवारों को निर्बल वर्गीय कहा जा सकता है। चूँकि समन्वित ग्राम्य विकास योजना, ग्रामीण निर्बल वर्गीय परिवारों के उत्थानार्थ एक राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है अतः निर्बल वर्ग की अवधारणा आर्थिक आधार पर मानना ही अधिक उचित एवं श्रेयष्कर होगा।

केन्द्र सरकार के उपक्रम ''समन्वित ग्राम्य विकास योजना'' निर्धनता उन्मूलन एवं ग्राामीण विकास हेतु अतिरिक्त रोजगार सृजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1978 में चयनित विकास खण्डों में किया गया। जिसे सम्पूर्ण भारत में निर्धनता उन्मूलन के लक्ष्य से रोजगार सृजन कर ग्रामीण–निर्बल वर्गीय परिवारों के सामाजिक आर्थिक उन्न्यन करने के उद्देश्य से संचालित एवं क्रियान्वित किया गया। निर्बल वर्गों के उत्थान के लिए योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त से ही विभिन्न योजनाओं द्वारा सतत् प्रयास किए जाते रहे हैं, किन्तु विभिन्न क्षेत्रों हेतु पृथक–पृथक योजनाएं होने के कारण, यह परियोजना इस दिशा में अनिर्धारित सी रही। परन्तु सन् 1978–79 से ग्रामीण अंचलों में व्याप्त गरीबी को दूर करने के लिए ''समन्वित ग्राम्य विकास योजना'' प्रभावी योजना के रूप में क्रियान्वित की गयी। **''आरम्भ में सम्पूर्ण देश मैं यह योजना 2,300 विकास खण्डों में आरम्भ की गयी। सम्पूर्ण देश में 15 मिलियन परिवारों को प्रतिवर्ष प्रति विकास खण्ड की दर से औसतन 600 परिवारों**

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

को लाभान्वित किया। सरकार द्वारा 3,500 रूपये वार्षिक से कम आय को गरीबी की रेखा निर्धारित किया गया तथा ऐसे समस्त परिवारों को, जिनकी आय 3,500 रू0 वार्षिक अथवा इस से कम है, को समन्वित ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया।''

2 अक्टूबर सन् 1980 से देश के विभिन्न भागों में कुल 5,011 विकास खण्डों एवं उत्तर–.प्रदेश के 885 समस्त विकास खण्डों में लागू कर इस परियोजना को संचालित किया गया। इस कदम के साथ ही अन्य, केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित परियोजना के व्यक्तिगत लाभार्थी को इस परियोजना में सम्मिलित कर दिए गए। इस प्रकार विकास कार्यक्रमों के समन्वयीकरण में यह प्रस्ताव भी किया गया कि सम्बन्धित क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का बाहुल्य (अधिकता) न हो, साथ ही चयनित लाभार्थी को समस्त क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम एक ही अभिकरण के माध्यम से प्राप्त हो सकें तथा परियोजना के फलस्वरूप निर्धनता की सीमारेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों को लाभांश प्रदान करके इस सीमा रेखा से ऊपर उठाना लक्ष्य रखा गया।

समन्वित ग्राम्य विकास योजना के निम्न दो प्रमुख उद्देश्य रखे गए :–

(1) विकास खण्ड स्तरों पर निर्धन परिवारों का चयन करके उन्हें आर्थिक (वित्तीय) सहायता प्रदान कर रोजगार के अतिरिक्त साधन सुलभ कराना।

(2) प्रदत्त वित्तीय सहायता के लाभांश से योजनान्तर्गत चयनित निर्धन परिवारों की सुधरी सामाजिक–आर्थिक दशाओं का समय–समय पर मूल्यांकन करना।

उल्लेखनीय है कि सरकार के समक्ष सदैव ही यह प्रश्न रहा है कि क्या आर्थिक सहायता करने से विकास संभव है? इस दिशा में विशेष ध्यानाकर्षण करते हुए, योजना के प्रथम उद्देश्य की पूर्ति हेतु मात्र ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निर्धनता को दूर करने के लिए निश्चित निर्धारित मानकों के आधार पर 600 परिवारों को प्रतिवर्ष, प्रत्येक विकास खण्ड में निर्धनता की सीमारेखा को पार करने में अनदानित कर संस्थागत वित्त से आर्थिक लाभांश प्रदान किया जाय तथा दूसरा यह चयनित निर्धन परिवारों की दशाओं का बार–बार मूल्यांकन करना था। समन्वित ग्राम्य विकास योजना का एक मात्र उद्दश्य आय बढ़ाने वाली भौतिक परिसम्पत्तियां (संसाधन) देकर तथा ऋण व अन्य निविष्टियां सुलभ कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में से सबसे गरीब (गरीबों में भी गरीब) परिवारों का जीवन स्तर ऊँचा करना और उन्हें गरीबी

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

रखा से ऊपर उठाना है। जिसक लक्ष्य के अन्तर्गत ग्रामीण बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगारी को दूर करके या घटाकर गरीबों को स्थायी रूप से गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना एक मात्र लक्ष्य है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य **''गरीबों में से भी अधिक गरीब''** परिवारों का(जिसका अन्त हो चुका हो)'' चयन कर जिसमें सीमान्त किसान, लघु किसान एवं गैर किसान (मजदूर), ग्रामीण कारीगर और दस्तकार (शिल्पकार), अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियॉ तथा वास्तव में सभी ऐसे परिवार जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, को रोजगार के साधनों में वृद्धि कर उनके सामाजिक – आर्थिक स्तर के उत्थानार्थ परिसम्पत्तियॉ तथा संसाधन सुलभ कराना है। आय बढ़ाने तथा रोजगार प्रदान करने के संयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कृषि और उसके सहायक व्यवसायों में कुटीर एवं लघु उद्योग तथा चयनित परिवार की पसन्द के आर्थिक किया कलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो बैंकिंग सेवाओं को भी स्वीकार्य हों। इस कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, वन उद्योग ग्राम्य एवं कुटीर उद्योगों में वृद्धि हेतु सहायता प्रदान करके साधन जुटाना है, ताकि अतिरिक्त रोजगार के साधनों में वद्धि के साथ–साथ आर्थिक प्रगति व सामाजिक – आर्थिक विकास सम्भव हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ :–

''समन्वित ग्राम्य विकास योजना'' :– समेकित अनुदेश, उ0 प्र0 शासन, ग्रामीण विकास अनुभाग, लखनऊ (उ0प्र0), जून 1982, पेज – 5, 6

***सिंह, एस0 डी0 :– ''एकीकृत ग्राम्य विकास योजना''** – एक अध्ययन, प्रकाशित शोध निबन्ध उ0 प्र0 समाजशास्त्र पत्रिका ''सामाजिकी'' वाराणसी सन् 1984, पेज – 73*

''योजना'' :– ग्रामीण समस्याऐं एवं समाधान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय – नई दिल्ली, अंक – 3, मार्च 1988, पेज – 8

प्रगति–निर्देशिका एवं विवरण : जिला भूमि उपयोग समिति, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, मथुरा।

जिला सॉख्यकी (विशे" ाॉक) : 2010, अर्थ एवं सॉख्य प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान जनपद मथुरा।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies